



Neutral Citation No. - 2026:AHC:23900-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के अंतर्गत अपील संख्या - 361/2025

भारत संघ द्वारा महाप्रबंधक एवं अन्यअपीलकर्ता

बनाम

मेसर्स रामजी पावर कंस्ट्रक्शंस लिमिटेडप्रत्यर्थी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : प्रणय कृष्ण

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता :

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति

1. यह अपील वाणिज्यिक न्यायालय, प्रयागराज द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2024 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा अपीलकर्ताओं द्वारा माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत दायर आवेदन को क्षेत्राधिकार रखने वाले सक्षम न्यायालय के समक्ष दायर करने की स्वतंत्रता के साथ निस्तारित कर दिया गया है।
2. दिनांक 14.01.2026 को, अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता को माननीय उच्चतम न्यायालय के 'हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड बनाम निकको मेटल्स लिमिटेड : (2009) 6 एससीसी 69' के निर्णय के आलोक में अपील की पोषणीयता के संबंध में तर्क प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया था।
3. आज, इस न्यायालय के 'अधीक्षण अभियंता एमएम दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम मेसर्स हिमाचल एल्युमिनियम एंड कंडक्टर्स : माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत अपील दोषपूर्ण संख्या 142/2024', निर्णय दिनांक 12.03.2025 के आदेश का हवाला देते हुए, यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ताओं को वर्तमान अपील को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक याचिका में परिवर्तित करने की अनुमति दी जा सकती है।
4. दिए गए तर्कों को देखते हुए, कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ताओं द्वारा अपील को रिट याचिका की आवश्यकताओं के अनुरूप लाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने पर, वर्तमान अपील को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक रिट याचिका के रूप में पंजीकृत करें और इसे उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए, माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत अपील संख्या 361/2025 निस्तारित की जाती है।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

4 फरवरी, 2026

ए.एच.ए./साज़िया

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"